न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट– नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल।
फौजदारी वाद संख्या– 1019/ 2022
राज्य <u>बनाम</u> घनश्याम।

दिनांकः 15–10–2022

अभियुक्त के अधिवक्ता की प्रार्थना पर पत्रावली कार्यालय से तलब होकर पेश। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जुर्म स्वीकृति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जुर्म स्वीकृति प्रार्थना पत्र के आधार पर बयान मुल्जिम अंकित किये गये। अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया। अभियुक्त के जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त का अपराध मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत पूर्णतः सिद्ध है। आदेश तद्नुसार।

<u>आदेश</u>

1– अभियुक्त को **धारा– 194(C)** मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अपराध के लिए ₹1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने के एवज मे 02 दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

बादॅहू अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि जमा की गई। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार संचित की जाये।

(शम्भू नाथ सिंह सेठवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेंट– नरेन्द्रनगर
जिला– टिहरी गढ़वाल।